न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा जिला डुगंरपूर

पीठासीन अधिकारी :- श्री राकेश कुमार न्योल
प्रकरण संख्या:-36 / 20 रेवेन्यु निर्णय दिनांक:-29.05.2024

1 श्री जीवा पिता सोमा ननोमा जाति मीणा निवासी धम्बोला तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान
2 श्री धना पिता सोमा ननोमा जाति मीणा निवासी धम्बोला तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान
3 श्रीमती नाथी पत्नि सोमा ननोमा जाति मीणा निवासी धम्बोला तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान
4 श्री पुंजा पिता सोमा ननोमा जाति मीणा निवासी धम्बोला तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान
5 श्री प्रभु पिता सोमा ननोमा जाति मीणा निवासी धम्बोला तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान
6 श्री लक्ष्मण ति सोमा ननोमा जाति मीणा निवासी धम्बोला तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान

वादीगण

बनाम

1 श्री हलिया पिता मंगला ननोमा जाति मीणा निवासी धम्बोला तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान
1/1 हाजु पिता हलिया ननोमा जाति मीणा निवासी धम्बोला तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान

2 अमरा पिता मंगला ननोमा जाति मीणा निवासी धम्बोला तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान
3 श्रीमती अमरी पिता मंगला जाति मीणा निवासी धम्बोला तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान
4 श्री भुमिधारी तहसीलदार सीमलवाडा जिला डुगंरपूर राज.।

प्रतिवादीगण

<u>वादपत्र अर्न्तगत धारा 53, 92 ए व 209 रा.टी.एक्ट</u>

उपस्थित :– श्री गौतमलाल रोत वादीगण की ओर से
श्री विरेन्द्रसिंह चौहान प्रतिवादीगण की ओर से

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार हैकि वादीया द्वारा एक वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि यहकि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी विरासती आराजी मौजा धम्बोला में खाता संख्या 418, खसरा नम्बर 2607, 2608, 2609, 2610, 2615, 2616, 2617, 2619, 2620, 2621, 2622. 2623, 2624, 5683/2629 कुल खेत किता 1 कुल रकबा 3.2942 हैक्टेयर कृषि भुमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की सामलाती भुमि होकर पारिवारिक बटवारे के अनुसार कृषि कार्य करते चले आ रहे है। तथा वर्तमान में भी अपने हिस्से में आयी भुमि में कब्जा होकर वादीगण कृषि कार्य कर रहे है। वादीगण संयुक्त कब्जे की विरासती आराजी में पारिवारिक बंटवारे के हिस्से अनुसार अपने कब्जे काश्त की कॉलम संख्या 2 में अंकित आराजीयों में फसल की बुवाई को लेकर बुवाई का कामकाज कर रही थी। उसी समय प्रतिवादी संख्या 1 से 3 कुछ अन्य आदमीयों के साथ मौके पर आए ओर बेचने की बात करने लगे जिस पर वादीगण ने संयुक्त खातेदारी आराजी होकर रिकॉर्डेडेड बंटवारा नहीं होने की बात कर वादीगण ने रिकॉडेड बंटवारा कर बेचने की बात की तो प्रतिवादीगण नहीं माने।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner

ओर जबरन लडाई झगडा कर विवाद उत्पन्न करने लगे जिस पर वादीगण ने विधिक रूप से राजस्व रिकार्ड अनुसार बंटवारा कर वादीगण व प्रतिवादीगण को अलग अलग खातों में कायम करने की बात कहने पर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 बंटवारे नहीं करना कहकर झंगडा फंसाद करने लगे। जिस पर वाद कारण लगातार उत्पन्न होने लगा जिससे वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया जिससे म्याद अवधि में वाद प्रस्तुत है। कॉलम संख्या 2 में अंकित वादग्रस्त आराजी में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 विधिक वारिसान होने से हिस्से में आयी कृषि भुमि का हिस्से में बराबर रिकॉर्ड डेड बंटवारा कर अलग अलग खातों में कायम करना आवश्यक है।

प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पत्रावली की सॅपुर्ण कार्यवाही को पुर्ण कर मौजा धम्बोला में खाता संख्या 418, खसरा नम्बर 2607, 2608, 2609, 2610, 2615, 2616, 2617, 2619, 2620, 2621, 2622. 2623, 2624, 5683/2629 कुल खेत किता 1 कुल रकबा 3.2942 हैक्टेयर हिस्सा अनुसार प्रारम्भिक डिक्री फैसला कर बंटवारा स्कीम पेश करने निर्णय दिया।

न्यायालय की प्रारम्भिक डिक्री के निर्णयानुसार पालना को लेकर तहसीलदार सीमलवाडा से बंटवारा रिपोर्ट तलब की गई। जिसके बाद तहसीलदार सीमलवाडा द्वारा बंटवारा रिपोर्ट पेश की गई। बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात पत्रावली का मनन किया गया तथा पत्रावली पर किसी भी पक्ष द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत बंटवारा स्कीम से असहममता प्रकट नहीं की ऐसी परिस्थिति में प्रकरण में अंतिम डिक्री पारित की जानी उचित समझी जाकर यह अंतिम डिक्री पारित की जाती है।

जिसके अनुसार जीवा पिता सोमा मीणा 1/24 हि, धना पिता सोमा मीणा 1/24 हि, नाथी पत्नि सोमा मीणा 1/24 हि, पुंजा पिता सोमा मीणा 1/24 हि, प्रभु पिता सोमा 1/24 हि, लक्ष्मण पिता सोमा 1/24 हि, जीवा पिता मंगला 1/4 हि, मरती पिता मंगला 1/4 हि, वजी पिता मंगला 1/4 हिस्सा अनुसार मौजा धम्बोला में स्थित आराजी नम्बर 2607 में 0.1295 है., 2609 में 0.1619 है, 2610 में 0.1052 है., 2615 में 0.3723 है. ,2620 में 0.0728 है.,2621 में 0.3157 है., 2624 में 0.3885 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

इसी प्रकार हलिया पिता मंगला(हाजु पिता हलिया वगैरा)1/5 हि, अमरी पिता मंगला 1/5 हि, सोमी पिता मंगला 1/5 हि, कमला पिता मंगला 1/5 हि, मणी पिता मंगला 1/5 हि. को मौजा धम्बोला में स्थित आराजी नम्बर 2608 में 0.2023 है, 2616 में 0.0486 है, 2617 में 0.6799 है, 2619 में 0.0971 है., 2622 में 0.3076 है, 2623 में 0.2509 है. खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार अमरा पिता मंगला मीणा को मौजा धम्बोला में स्थित आराजी नम्बर 5683/2629 में 0.1619 है. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इस निर्णय अनुरूप रिकॉर्ड में अंकन किये जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। तथा बाद बटवाडा राजस्व रिकॉर्ड में अंकन के पश्चात कोई भी पक्ष किसी दुसरे पक्ष की भूमि के कब्जे काश्त में रूकावट पैदा नहीं करे इस बाबत आदेश दिया जाना उचित समझा जाता है। नियमानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

आदेश

उक्त विवेचन के आधार पर वादीया का वाद डिक्री किया जाकर जीवा पिता सोमा मीणा 1/24 हि, धना पिता सोमा मीणा 1/24 हि, नाथी पत्नि सोमा मीणा 1/24 हि, पुंजा पिता सोमा मीणा 1/24 हि, प्रभु पिता सोमा 1/24 हि, लक्ष्मण पिता सोमा 1/24 हि, जीवा पिता मंगला 1/4 हि, मरती पिता मंगला 1/4 हि, वजी पिता मंगला 1/4 हिस्सा अनुसार मौजा धम्बोला में स्थित आराजी नम्बर 2607 में 0.1295 है., 2609 में 0.1619 है, 2610 में 0.1052 है., 2615 में 0.3723 है.,2620 में 0.0728 है.,2621 में 0.3157 है., 2624 में 0.3885 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

इसी प्रकार हलिया पिता मंगला(हाजु पिता हलिया वगैरा)1/5 हि, अमरी पिता मंगला 1/5 हि, सोमी पिता मंगला 1/5 हि, कमला पिता मंगला 1/5 हि, मणी पिता मंगला 1/5 हि. को मौजा धम्बोला में स्थित आराजी नम्बर 2608 में 0.2023 है, 2616 में 0.0486 है, 2617 में 0.6799 है, 2619 में 0.0971 है., 2622 में 0.3076 है, 2623 में 0.2509 है. खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार अमरा पिता मंगला मीणा को मौजा धम्बोला में स्थित आराजी नम्बर 5683/2629 में 0.1619 है. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इस निर्णय अनुरूप रिकॉर्ड में अंकन किये जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। तथा बाद बटवाडा राजस्व रिकॉर्ड में अंकन के पश्चात कोई भी पक्ष किसी दुसरे पक्ष की भूमि के कब्जे काश्त में रूकावट पैदा नहीं करे इस बाबत आदेश दिया जाना उचित समझा जाता है। नियमानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावे।

राकेश कुमार न्योल
उपखंड अधिकारी सीमलवाडा

आदेश आज दिनांक 29.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राकेश कुमार न्योल
उपखंड अधिकारी सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner